

C-423
04/07/18

दिनांक 07.06.2018 को तीनों जिलों, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिले के हिन्दी अनुभागों की एक साथ बुलाई गई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

संख्या 4601-4607/हिन्दी/शाहदरा/2018/दिल्ली

दिनांक 4/7/18

1. निजी सचिव, माननीय, जिला एवं सत्र न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), हिन्दी विभाग, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व।
5. वेबसाइट समिति, कड़कड़डूमा न्यायालय/तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. अधोहस्ताक्षरी के रीडर।
7. संबंधित फाईल।

विधि गुप्ता

(विधि गुप्ता आनन्द)

महानगर दंडाधिकारी/नोडल अधिकारी,
हिन्दी विभाग, जिला शाहदरा,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में दिनांक 07.06.2018 को तीनों जिलों, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिले के हिन्दी अनुभागों की एक साथ बुलाई गई बैठक के कार्यवृत्त ।

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा में स्थापित हिन्दी अनुभाग द्वारा, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर के अन्य दो जिलों पूर्व व उत्तर-पूर्व जिले के हिन्दी अनुभागों के साथ, तीनों जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता में "मिनी कान्फ्रेंस हाल" में दिनांक 07.06.2018 को एक संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक में उपस्थिति इस प्रकार रही :-

क्र.सं	पदाधिकारी का नाम	पद	उपस्थिति
1.	सुश्री विधि गुप्ता आनंद	नोडल अधिकारी, शाहदरा जिला।	उपस्थित
2.	श्री निपुण अवस्थी	नोडल अधिकारी, पूर्व जिला।	उपस्थित
3.	श्री अमित भ रावत	नोडल अधिकारी, उत्तर-पूर्व जिला।	मेडिकल अवकाश
4.	सुश्री गीता मनोचा	प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा जिला।	उपस्थित
5.	सुश्री रेनू शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर-पूर्व जिला।	उपस्थित
6.	श्री पुनीत कुमार अरोडा	कनिष्ठ न्यायिक सहायक, शाहदरा जिला।	उपस्थित
7.	श्री अजय कुमार झा	न्यायिक सहायक, पूर्व जिला।	उपस्थित
8.	सुश्री मीनाक्षी ममगाई	कनिष्ठ न्यायिक सहायक सहायक, उत्तर-पूर्व जिला।	उपस्थित

बैठक में निर्धारित कार्यचूची के अनुसार, जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा के तीनों जिलों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करने संबंधित विषय में चर्चा हुई। चर्चा के बाद, बैठक की निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत हैं:-

1. पिछली बैठक, दिनांक 27.02.2018, के कार्यवृत्त में दी गई अनुशंसाओं, उन पर की गई कार्यवाही/पत्राचार आदि का अवलोकन किया जो कि इस प्रकार है:-

2

विधि गुप्ता

(क) कड़कड़ूमा न्यायालय परिसर में स्थित तीनों जिलों में राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे प्रशासनिक कार्य, प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंधित टिप्पण, प्राप्त हुए परिपत्रों, आदेशों/निर्देशों का पुनरावलोकन तथा भविष्य में राजभाषा हिन्दी में किए जा सकने वाले कार्यों हेतु सुझाव व संभावनाएं, आदि की जानकारी से, माननीय न्यायिक अधिकारियों को संबंधित जिले के राजभाषा हिन्दी अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा अद्यतित कराया गया।

(ख) सामान्य शाखा द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी द्विभाषीय मोहरें बनवाई गईं तथा हिन्दी अनुभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिए हिन्दी विभाग ने मोहरें बनवाईं।

(ग) केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 15.03.2018 के कार्यवृत्त के बिन्दु 01 में ग्रुप घ के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे प्रशासनिक कार्यों के दस्तावेजों की प्रति संबंधित जिले के हिन्दी विभाग को प्रेषित की। तदनुसार, दस्तावेजों की प्रति को उच्चकाश अनुभाग तथा प्रशासनिक शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कराया जिससे उन्हें ग्रुप घ के कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को राजभाषा हिन्दी में करने के लिए प्रेरणा मिल सके।

(घ) तीनों जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कार्यालयों में स्थित विभिन्न शाखाओं में दिए जा रहे पत्रों के जवाबों (जिसमें हिन्दी में जवाब मांगा गया तथा जो पत्र/आदेश ग्रुप घ से संबंधित हैं) को हिन्दी अनुभाग के द्वारा उसको अनुवाद करके भेजा जा रहा है।

(ङ) कड़कड़ूमा न्यायालय परिसर में संबंधित जिलों में स्थित विभिन्न शाखाओं द्वारा राजभाषा हिन्दी में किए गए कार्यों की, माह जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 की त्रैमासिक रिपोर्ट संबंधित जिले के हिन्दी अनुभाग को प्रेषित की गई।

2. बैठक में माननीय न्यायिक अधिकारियों ने, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों व उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के अनुरूप, अनुपालन की सुनिश्चिता हेतु, तीनों जिलों द्वारा निरंतर आदेश पत्र जारी किए जाने पर सहमति जताई है। साथ ही संबंधित जिलों में तैनात कर्मचारियों विशेषकर, ग्रुप घ से संबंधित सभी अनुभागों द्वारा अनिवार्य रूप से हिन्दी राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई तथा इससे संबंधित परिपत्र परिचालित कराने पर सहमति जताई गई।

3. बैठक में तीनों जिलों में नियुक्त कर्मचारियों को अनवरण हिन्दी टंकण प्रशिक्षण (यूनिफाइड) प्रदान किए जाने पर सहमति जताई गई। इससे पहले इसी वर्ष कड़कड़ूमा में 15 जनवरी 2018, से 25 जनवरी, 2018 तक पूर्व,

5

विधि गुप्ता

शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिले के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माननीय न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया गया कि पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिले के सभी संबंधित राजभाषा अनुभाग आपसी सामंजस्य से एक सांझे प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा व कार्ययोजना हेतु अग्रसर हैं। जुलाई प्रथम सप्ताह में हिन्दी टंकण प्रशिक्षण (यूनिकोड) का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होना संभावित हुआ है।

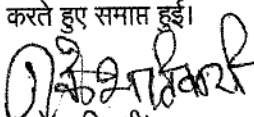
4. बैठक में केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली की बैठक, दिनांक 15.03.2018 के कार्यवृत्त के विषय "जिला न्यायालय दिल्ली में विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं के आयोजन", से संबंधित प्राप्त हुए आदेशों, पत्रों नियमावली, बजट आवंट, आदि पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। तीनों जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभागों के कर्मचारियों ने माननीय अधिकारियों को दिनांक 30.05.2018 को संपन्न, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक में इसी विषय को लेकर हुए विचार-विमर्श, सुझाव, बजट प्रस्ताव, लेखा अनुमति आदि की जानकारी से अवगत कराया। सभी अधिकारियों ने इसे कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला मानते हुए इसकी सराहना की तथा कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में स्थित तीनों जिलों में, "हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन, स्वरूप, बजट आवंटन" के विषय को आगामी बैठक के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए कहा। इस बीच केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति (मुख्यालय) से उक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण व निर्देश प्राप्त किया जाना वांछित है। श्री निपुण अवस्थी, प्रशा.दी.न्या./नोडल अधिकारी, पूर्व जिला, ने तीनों जिलों में राजभाषा हिन्दी की प्रतियोगिताएँ कराए जाने के लिए प्रस्तावित तिथियों (जो 14.08.2018, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और 05.09.2018, शिक्षक दिवस के अवसर पर), को संभावित तिथि के रूप में लेने पर सभी अधिकारियों द्वारा सहमति जताई गई।
5. बैठक में यह सुझाव दिया गया कि कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में स्थित तीनों जिला न्यायालयों की वेबसाइट को हिन्दी अंग्रेजी (द्विभाषी) करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आशय से एक आग्रह पत्र, माननीय प्रभारी-अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, कड़कड़डूमा न्यायालय व माननीय प्रभारी-अधिकारी, वेबसाइट समिति, कड़कड़डूमा न्यायालय को संबंधित जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग द्वारा भेजा जाए। प्रयोग के रूप में, माननीय जिल एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिले के न्यायालयों की प्रतिदिन वाद सूची को हिन्दी भाषा में अनुवादित कर प्रतिदिन सूचीपट्ट पर प्रदर्शित करने में सहमति जताई गई।
6. सुश्री विधि गुप्ता आनंद, महा.दंडाधिकारी/नोडल अधिकारी, शाहदरा जिला, द्वारा दिए गए सुझाव, मध्यस्थता केन्द्र व दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ताओं के लाभार्थ, वहां के कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की संभावनाओं हेतु जैसे कि समझौतों से संबंधित आदेशों इत्यादि के लिए, माननीय प्रभारी-अधिकारी, मध्यस्थता केन्द्र, कड़कड़डूमा न्यायालय एवं माननीय प्रभारी-अधिकारी, दिल्ली विधिक सेवा

31

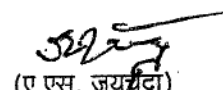
विधि 5511

प्राधिकरण, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाए, पर सभी न्यायिक अधिकारियों ने सहमति जताते हुए अनुशंसित किया।

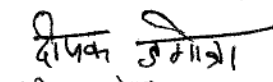
इसके साथ ही यह बैठक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व का आभार व्यक्त करते हुए समाप्त हुई।


(राकेश तिवारी)

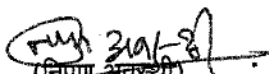
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली


(ए.एस. जय्योती)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली


(दीपक जगोत्रा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली


(निपुण अवस्थी)

नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग
पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली


(विधि गुप्ता आनंद)

नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली